विहार विधान-सभा वादवृत्त ।

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर ।)

शुक्रवार, तिथि 14 जुलाई 1978 ।

विषय-सूची ।

पृष्ठ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर—विहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 4 (ii) के परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तरों का सभा-मेज पर रखा जाना—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या 246, 254, 256, 268, 1203, 1205, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1221, 1222, 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1233, 1235, 1236, 1238, 1241, 1242, 1244, 1245, 1247, 1249, 1255, 1258, 1259, 1263, 1264, 1266, 1271, 1274, 1278, 1279, 1280, 1288, 1293 एवं 1295 । 1—56

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

परिशिष्ट 1 .. .. .. 57—62

परिशिष्ट 2 .. .. .. 63—206

दैनिक निबन्ध 207-208

टिप्पणी—किन्हीं मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपने भाषण संशोधित नहीं किए

अध्यक्ष—राजेन्द्र नगर में सिक इंडस्ट्रीज हैं क्या ?

श्री महावीर प्रसाद—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तैयार है लेकिन जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि फिगर्स कंट्राडिक्टरी हैं इसलिये इसके लिये समय दिया जाय।

कर्मचारियों को महंगाई भत्ता।

1205. श्री राम जतन सिन्हा—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता देने के प्रश्न पर केन्द्रीय नेताओं द्वारा 1977 में ही एक सीधी रेखा तैयार कर दी गयी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता या जीवन यापन भत्ता में समरूपता रखने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार बतायेगी कि किस योजना और उद्देश्य के तहत इस मामले को वेतन पुनरीक्षण समिति के अधीन सौंपा गया ?

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग—(1) राज्य सरकार को इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) राज्य सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त नही हुई है।

(3) वेतन पुनरीक्षण समिति का गठन वेतन संरचना, भत्ते अन्य सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए किया गया है। जीवन-यापन भत्ता, भत्ता का एक अंश है। अतः इस पर पूर्ण विचार कर अनुशंसा देने के लिये इसे वेतन पुनरीक्षण समिति को सौंपा गया है।

श्री राम जतन सिन्हा—मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वेतन पुनरीक्षण समिति को प्रतिवेदन देने के लिये समय-सीमा निर्धारित की गयी है या नहीं ?

श्री कपिलदेव सिंह—वेतन पुनरीक्षण समिति को अभी तो एक साल का समय दिया गया है लेकिन इस अवधि में काम होगा कि नहीं, यह कहना मुश्किल है।